पश्चिम मध्य रेलवे

मंडलरेलप्रबंधककार्यालय
कार्मिकविभाग, कोटा

पत्र सं:– पमरे/पी–कोटा/120/11/ईडी/2018 दिनाँक 12/05/2020

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पमरे – जबलपुर

विषय:– कोविड–19 महामारी के तहत कोटा में स्थापित संगरोध सुविधाओं के लिए अनुबन्ध के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

कोविड–19 महामारी के तहत कोटा में स्थापित संगरोध सुविधाओं के लिए अनुबन्ध के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती वाक इन इन्टरव्यू के आधार पर ओपन मार्केट के माध्यम से की जानी है । इस हेतु स्थानीय अखबारों में संलग्न विज्ञप्ति को प्रकाशित किया जाना है । उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु फण्ड उपलब्ध है ।

संलग्न : विज्ञप्ति

13/5/20

कृते वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी
पमरे/कोटा

प्रतिलिपि : सीआईओ–जबलपुर – कृप्या उक्त विज्ञप्ति को पमरे की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

पश्चिम मध्य रेलवे

मण्डल रेल प्रबन्धक, कार्यालय
कार्मिक विभाग – कोटा
दिनांक 12/05/2020

सं. ईडी/राज/889/1 भाग–4

वॉक–इन–इंटरव्यू (Walk-In-Interview)

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कोविड–19 वैश्विक महामारी से संबंधित समस्याओं के निवारण और पर्याप्त तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए कोटा मंडल (पमरे) में इच्छुक एवं योग्य डॉक्टर्स से, भर्ती की तिथि से एक माह के लिए अनुबंध के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती किये जाने का प्रस्ताव है। प्रशासनिक आवश्यकता या योजना की अवधि तक जो भी पहले हो, एक माह की अवधि को बढाया/घटाया जा सकता है। इच्छुक डॉक्टर्स की उपयुक्तता को जांचने के लिए एक वाक–इन–इंटरव्यू निम्न निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आयोजित किया जायेगा।

वाक–इन–इन्टरव्यू के लिए स्थान, दिनांक एवं समय

वाक–इन–इन्टरव्यू के लिए स्थान	दिनांक, रिपोर्टिंग टाईम
कार्मिक विभाग, द्वितीय तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोटा	19.05.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक (प्रातः 11 बजे के बाद पंजीयन नहीं होगा।)

इस हेतु वांछित शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है:–

कुल रिक्तियां –22 कोटा मंडल में स्थापित संगरोध (Quarantine) सुविधाओं के लिए

- प्रशासनिक आवश्यकताओं के मददेनजर रिक्तियों में भर्ती के पश्चात भी संशोधन किया जा सकता है।
- अनुबंध चिकित्सकों को कोटा मंडल के क्षेत्राधिकार में किसी भी स्टेशन पर भी पदस्थ किये जाने का अधिकार प्रशासन के पास आरक्षित है।
- सेवानिवृत रेल्वे चिकित्सक राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारी जो कि 65 वर्ष की आयु तक के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त है वे भी आवेदन करने हेतु पात्र है।
- इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार संलग्न प्रफोर्मा पर आवेदन पत्र सहित निर्धारित समय व स्थान पर वॉक इन इन्टरव्यू के लिये उपस्थित हो।

शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता

उम्मीदवार को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्ता किसी भी संस्थान से एमबीबीएस पास की डिग्री होनी चाहिए तथा एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन या किसी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ वैद्य रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई अन्य प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उच्च योग्यता यदि कोई हो तो उन्हें उचित वरियता दी जायेगी।

आयु

1. दिनांक 01.05.2020 को 53 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष एवं ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जायेगी।

13/5/20

2. सेवानिवृत रेल्वे डॉक्टर राज्य सरकार /केन्द्र सरकार के सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों के लिए दिनांक 01.05.2020 को आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

पारिश्रमिक

a. फुल टाईम जनरल मेडिकल ऑफिसर(GDMO) के लिए मासिक पारिश्रमिक रूपये 75,000 (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते सहित) है।
b. सेवानिवृत रेल्वे डॉक्टर्स, राज्य एवं केन्द्र सरकार के सेवानिवृत मेडिकल अधिकारियों के लिए मासिक पारिश्रमिक रेल्वे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमानुसार दिया जायगा। जो कि सेवानिवृत डॉक्टर की पेन्शन प्लस संविदा पारिश्रमिक को मिलाकर सेवानिवृति के समय प्राप्त किये जा रहे अंतिम वेतन से अधिक नहीं होंगे। नियमित रेल सेवकों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ता/अन्य भत्ते इन्हे देय नहीं है।

साक्षात्कार को एक से अधिक दिनों के लिए भी बढाया जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा रेल प्रशासन द्वारा नहीं दी जायेगी।

नोटः–

1. चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये जाने पर ही सीएमपी के पद पर भर्ती किया जायेगा।
2. रेल्वे के साथ अनुबंध करने वाले चिकित्सक का रेल सेवा में निरन्तरता, स्वतः विस्तार के लिए कोई दावा या अधिकार नहीं होगा।
3. अनुबंध की वैद्यता के दौरान सीएमपी उनके बेहतर केरियर/अन्य किसी आधार पर 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा। रेल प्रशासन द्वारा भी अनुबंध के दौरान किसी भी समय किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिये बिना या बिना कोई कारण बताये अनुबंध को समाप्त किया जा सकता हैं। यदि सीएमपी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो भी रेल प्रशासन द्वारा उसका अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. भर्ती किये गये सीएमपी को रेल्वे में स्वतः नियमितिकरण या समायोजन का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है।
5. रेल्वे में अनुबंध के दौरान ड्युटी के संबंध में विस्तृत निर्देश सीएमपी को चयन के उपरान्त भर्ती पत्र में जारी किये जायेगें।
6. उक्त अधिसूचना को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार रेल प्रशासन रखता है।
7. किसी भी सेवानिवृत रेल्वे डॉक्टरों को जिन्हे सीएमपी के लिए नियुक्त किया जाना है को सुविधा पास/पीटीओ की सुविधा देय नहीं होगी।
8. उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारो को कार्य पर आने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र भरना होगा।

संलग्न : आवेदन का प्रारूप

13/5/20

वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी
पमरे – कोटा

अनुबंध के आधार पर चिकित्सक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पमरे कोटा

आपके कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति सं. ईडी/राज/889/1 भाग–5 दिनांक:11.05. 2020 के संदर्भ में कोटा मंडल (पमरे) में अनुबंध के आधार पर चिकित्सक के पद पर भर्ती के लिए मैं अपना आवेदन कर रहा /रही हूं।

Self attested pass-port size colour photo

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पत्राचार के लिए पता :
   (मोबाईल नं. सहित)
4. जन्म तिथि :
5. लिंग :
6. राष्ट्रीयता :
7. मातृ–भाषा :
8. समुदाय :
9. शैक्षणिक योग्यता :
   (दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाये)
   (इंन्टर्नशिप सहित)
10. अनुभव (दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें):
11. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र सं
12. संलग्न किये गये दस्तावेजों की सूचि :

घोषणा:

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ की मैंने नियम एवं पात्रता शर्तों को ध्यान से पढा है एवं मैं इनसे संतुष्ट हूं। आवेदन पत्रों में दिये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य हैं तथा मेरी भर्ती के बाद किसी भी स्तर पर इनमें किसी भी प्रकार की कमी पायी जाती हैं अथवा झुठे पाये जाते हैं तो मेरी सेवायें बिना किसी सूचना के तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।

स्थान :
दिनांक : **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**